

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 898(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सं० आ० 308 अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने रामाकृष्णा मिशन सेवाश्रम, डाकखाना कोनतई, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल-721401 द्वारा पाल्ली उन्नयन प्रकल्प परियोजना, कोनतई टाउन के समीप, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत छह शिक्षा केन्द्रों, चलते फिरते चिकित्सा एकक को चलाने और कम लागत के मकानों के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुमोदित लागत को 5.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 10.36 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) रामाकृष्णा मिशन सेवाश्रम, डाकखाना कोनतई, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल-721401 द्वारा चलाई जा रही पाल्ली उन्नयन प्रकल्प परियोजना, कोनतई टाउन के समीप, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत छह शिक्षा केन्द्रों, चलते फिरते चिकित्सा एकक को चलाने और कम लागत के मकानों के निर्माण की परियोजना या स्कीम के रूप में वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है; तथा

(ख) दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 308 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 7 के सामने कॉलम (4) में अक्षर, अंक, तथा शब्द “ 5.00 लाख रुपए” के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द “10.36 लाख रुपए” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।